न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 21/2015 – निगरानी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा	बनाम	1. श्रीमती दीपा पत्नी विनोद कुमार शर्मा निवासी गंगापुर तहसील सहाडा 2. ग्राम पंचायत सातलियास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सातलियास पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 05.03.2008 भूमि विक्रय पत्रावली सं. 09 दिनांक 23.11. 2007 ग्राम पंचायत सातलियास (सहाड़ा)

उपस्थित :–

1. विभागीय पैरोकार – निगराकार की ओर से
2. विपक्षीगण 01 व 02 उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 30.10.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 25.06.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सातलियास ने विपक्षीगण की ओर से आबादी भूमि में नियम 142 के तहत निलामी से संबंधित भूखण्ड का नक्शा नगर आयोजना अधिकारी से अनुमोदन होना चाहिये था जो नहीं करवाया गया , जो विधि विरूद्व होकर तथाकथित पत्रावली से विक्रय किया गया भूखण्ड सं. 01 पटटा सं. 912 दिनांक 28.01. 2008 श्रीमती दीपा पत्नी विनोद शर्मा निवासी गंगापुर का निरस्त योग्य हैं । अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने श्रीमती दीपा के नाम उक्त भूखण्ड निलामी रूपये 41000/– निलामी में छोड़ी गयी । इस भूखण्ड की निलामी पेटे 5000/–रू. अमानत रसीद सं. 22 दिनांक 28.01.2008 से जमा हैं, जो भूखण्ड के पेटे समायोजन नहीं किये गये है। रसीद सं. 30 दिनांक 28.01.2008 से रूपये 6000/– जमा कराये गये जो ग्राम पंचायत की रोकड पुस्तिका के पृष्ठ सं. 28 पर दर्ज हैं । जमा करायी गयी राशि निलामी राशि की 1/4 से कम है। अतः ग्राम पंचायत सातलियास द्वारा नियमों की अनदेखी किये जाने से पटटा निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नियम 146 के तहत प्रस्तावित भूखण्ड का

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित नहीं किये जाने के बावजूद पंचायत बैठक दिनांक 5.12.2007 की बैठक कार्यवाही में दिनांक 23.11.2007 को मौका निरीक्षण किया जाना बताया गया हैं , जबकि उक्त भूखण्ड निलामी की पत्रावली की दायर दिनांक भी 23.07.2007 ही हैं। दूसरी तरफ पत्रावली में संलग्न मौका निरीक्षण पत्र पर मौका निरीक्षण दिनांक 17.01.2008 अंकित हैं, जो कि विरोधाभाषी होकर मिथ्या दस्तावेज संधारित किया जाना प्रमाणित करता हैं । नियम 148 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड के संबंध में निलामी के निर्णय से पूर्व एक माह का आपत्ति पत्र जारी कर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण करने का प्रावधान हैं । जिसकी पालना में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.01.2008 को आपत्ति पत्र जारी किया गया , जबकि एक माह की अवधि गुजरने का इन्तजार किये बगैर आपत्ति जारी करने की दिनांक 07.01.2008 को ही भूखण्ड निलाम किये जाने का निर्णय लिया गया तथा ग्राम पंचायत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निलामी की तिथि दिनांक 28.01.2008 निर्धारित की गई , जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी निलामी सूचना पत्र में निलामी की तिथि व समय अंकित नहीं की गई हैं, जिससे सम्पूर्ण भूखण्ड निलामी प्रक्रिया अपारदर्शी होकर भूखण्ड का बेचान पूर्व निर्धारित होना जाहिर होता है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार कराई जाकर विपक्षीगण को जारी किया गया गया पटटा नियम विरूद्व होने से निरस्त कराया जाकर तथाकथित भूखण्ड को संबंधित ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान कराये जावे ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2015 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये एवं रिकार्ड तलब किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया । जिसके संदर्भ में दिनांक 30.07.2015 को रिकार्ड प्राप्त हुआ। विपक्षीगण 01 व 02 के सम्मन तामील होने पर भी उपस्थित नहीं हैं।

निगराकार की बहस सुनी गयी।

निगराकार की ओर से विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित बिन्दु सं. 1 से लगायत 09 के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सातलियास ने विपक्षीगण की ओर से आबादी भूमि में नियम 142 के तहत निलामी से संबंधित भूखण्ड का नक्शा नगर आयोजना अधिकारी से अनुमोदन होना चाहिये था जो नहीं करवाया गया , जो विधि विरूद्व होकर तथाकथित पत्रावली से विक्रय किया गया भूखण्ड सं. 01 पटटा सं. 912 दिनांक 28.01.2008 श्रीमती दीपा पत्नी विनोद शर्मा निवासी गंगापुर का निरस्त योग्य हैं । अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने श्रीमती दीपा के नाम उक्त भूखण्ड निलामी रूपये 41000/– निलामी में छोड़ी गयी । इस भूखण्ड की निलामी पेटे 5000/–रू. अमानत रसीद सं. 22 दिनांक 28.01.2008 से जमा हैं, जो भूखण्ड के पेटे समायोजन नहीं किये गये है। रसीद सं. 30 दिनांक 28.01.2008 से रूपये 6000/– जमा कराये गये जो ग्राम पंचायत की रोकड पुस्तिका के पृष्ठ सं. 28 पर दर्ज हैं । जमा करायी गयी राशि निलामी राशि की 1/4 से कम है। अतः ग्राम पंचायत सातलियास द्वारा नियमों की अनदेखी किये जाने से पटटा निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नियम 146 के तहत प्रस्तावित भूखण्ड का स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में

तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित नहीं किये जाने के बावजूद पंचायत बैठक दिनांक 5.12.2007 की बैठक कार्यवाही में दिनांक 23.11.2007 को मौका निरीक्षण किया जाना बताया गया हैं , जबकि उक्त भूखण्ड निलामी की पत्रावली की दायर दिनांक भी 23.07.2007 ही हैं। दूसरी तरफ पत्रावली में संलग्न मौका निरीक्षण पत्र पर मौका निरीक्षण दिनांक 17.01.2008 अंकित हैं, जो कि विरोधाभाषी होकर मिथ्या दस्तावेज संधारित किया जाना प्रमाणित करता हैं । नियम 148 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड के संबंध में निलामी के निर्णय से पूर्व एक माह का आपत्ति पत्र जारी कर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण करने का प्रावधान हैं । जिसकी पालना में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.01.2008 को आपत्ति पत्र जारी किया गया , जबकि एक माह की अवधि गुजरने का इन्तजार किये बगैर आपत्ति जारी करने की दिनांक 07.01.2008 को ही भूखण्ड निलाम किये जाने का निर्णय लिया गया तथा ग्राम पंचायत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निलामी की तिथि दिनांक 28.01.2008 निर्धारित की गई , जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी निलामी सूचना पत्र में निलामी की तिथि व समय अंकित नहीं की गई हैं, जिससे सम्पूर्ण भूखण्ड निलामी प्रकिया अपारदर्शी होकर भूखण्ड का बेचान पूर्व निर्धारित होना जाहिर होता है। निगराकार की निगरानी स्वीकार कराई जाकर विपक्षीगण को जारी किया गया गया पटटा नियम विरूद्व होने से निरस्त कराया जाकर तथाकथित भूखण्ड को संबंधित ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान कराये जावे ।

निगराकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत सातलियास की पत्रावली सं. 9 दिनांक 23.11.2007 श्रीमती दीपा पत्नी विनोद शर्मा निवासी गंगापुर के नाम पर भूखण्ड सं. 01 क्षैत्रफल 30 बाई 45 वर्गफीट की निलामी कार्यवाही 41000/–रू. में किया जाना पाया जाता हैं। निलामी भूमि का नक्शा नगर आयोजना अधिकारी से अनुमोदन नहीं कराया है। निलामी सूचना स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की गयी । भूखण्ड की मौका रिपोर्ट नियमानुसार नहीं बनायी गयी । निलामी का अंतिम विनिश्चय ग्राम पंचायत की कोरम में नहीं किया गया । आपत्ति पत्र दिनांक 07.01.2008 को जारी किया । आपत्ति का निस्तारण भी 07.01.2008 को किया , जबकि एक माह की मियाद गुजरने के बाद आपत्तियों का निस्तारण किया जाना चाहिये था । निलामी राशि 41000/–रू. की 1/4 राशि से कम राशि जमा करायी हैं। बैठक में प्रस्ताव सं. 01 से 03 अलग हेन्डराईटिंग व प्रस्ताव सं. 04 की अलग हेण्डराईटिंग व स्याही भी अलग हैं। श्री विनोद कुमार शर्मा तत्कालीन सचिव द्वारा आबादी भूमि के नियम विरूद्व व अपने परिवार वालों के नाम निलामी द्वारा कीमती भूमि विक्रय करने के संबंध में विकास अधिकारी सहाडा ने आरोप लगाये है। विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा ने बताया कि श्रीमती दीपा शर्मा विनोद शर्मा की पत्नी हैं । इस प्रकार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 154 तक निहित प्रावधान एवं प्रकिया की पालना इस पत्रावली सं. 09 दिनांक 23.11.2017 पटटा सं. 912 दिनांक 28.01.2008 में नही की गयी हैं । उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत सातलियास द्वारा जारी पटटा सं. 912 दिनांक 28.01.2008 को निरस्त किया जाता हैं । सरपंच ग्राम पंचायत सातलियास को निर्देश दिया जाता है कि तथाकथित पट्टा विलेख व पत्रावली पर निरस्तीकरण के आदेश उल्लेखित किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय से तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ ग्राम पंचायत सातलियास एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाड़ा को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा